न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 02/2017

श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री प्रभुदयाल निवासी मोदी मौहल्ला, कचहरी चौक, किशनगढ शहर जिला–अजमेर एवं डीलर उचित मूल्य दुकान संख्या 32 वार्ड 32 किशनगढ।

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः– 1. श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 26.06..2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–11,17 (ग) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर उक्त आदेश के खण्ड 9 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश दिनांक 29.08.2017 द्वारा डीलर की जमा प्रतिभूति राशि 1000/– (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) जब्त सरकार कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जिला रसद अधिकारी के इसी आक्षेपित आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमती गौरा मीना द्वारा दिनांक 27.8.2016 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें पुलिस थाना किशनगढ द्वारा अवैध परिवहन की जॉच दौरान राशन के गैहूँ की जप्ती तथा अपीलार्थीया डीलर के पति श्री प्रभुदयाल एवं टेम्पों चालक को गिरफ्तार किया जाना दर्ज किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर बिना अपीलान्ट का पक्ष सुने, आक्षेपिय आदेश दिनांक 29.8.2017 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। आक्षेपित आदेश में जिस कारण बताओं नोटिस का जिक किया गया है, वह अपीलान्ट को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिला रसद अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 29.8.2017 विधि विरूद्ध एवं सामाजिक न्याय के विपरीत होने से काबिले निरस्त है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर बिना किसी ठोस कारण एवं विधिक प्रकिया के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का 21

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वर्ष पुराना प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2017 निरस्त फरमाते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट का लाईसेन्स, बहाल करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक गौरा मीना द्वारा दिनांक 27.8.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पुलिस थाना किशनगढ द्वारा जॉच दौरान राशन के गैहूँ का अवैध परिवहन पर थाना किशनगढ में डीलर श्रीमती सीता देवी, उसके पति श्री प्रभुदयाल एवं टेम्पों चालक एवं फैक्ट्री श्री एम करणी फूड प्रोडक्ट्स के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229/16 दर्ज की गई। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका जानबुझ कर जवाब नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया। डीलर के राशन के गैहूँ को गलत तरीके से बेचान करने के उद्धेश्य से ले जाते दौरान पुलिस के द्वारा पकडा गया है। अपीलान्ट का कृत्य पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध होकर विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या–11,17(ग) एवं 18 का उल्लंघन पाया जाने पर ही उक्त आदेश के खण्ड 9 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा डीलर की जमा प्रतिभूति राशि 1000/– (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) जब्त सरकार कर प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप एवं अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के तहत होने से अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी (डीलर) के राशन के गैहूँ को गलत तरीके से बेचान करने के उद्धेश्य से ले जाते दौरान पुलिस द्वारा पकडा गया है। डीलर का कृत्य पूर्णतः अवैधानिक, नियम विरूद्ध, विभागीय आदेशों तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या–11, .17 (ग) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने पर जिला रसद अधिकारी, (प्रथम) अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 29.08.2017 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.062019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वमोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner